

शिक्षित अनुसूचित जाति महिलाओं के सामाजिक स्तर उन्नयन में शिक्षा व्यवस्था की भूमिका

अमिता खींची*
डॉ. निधि मेहता**

सार

प्रस्तुत शोध पत्र शिक्षित अनुसूचित जाति महिलाओं के सामाजिक स्तर उन्नयन में शिक्षा व्यवस्था की भूमिका एवं सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक स्तर उन्नयन के प्रति उनके दृष्टिकोण एवं साथ ही शिक्षित अनुसूचित जाति महिलाओं की आकांक्षाओं, उपेक्षाओं एवं चुनौतियों एवं उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करने के इर्द-गिर्द ध्यमता है। उनके व्यवहार, समायोजन, भूमिका संघर्ष और व्यक्तिगत एवं पारिवारिक निर्णयों में उनकी भागीदारी के बारे में जानना है। वे परिवार में अपनी प्रस्थिति के बारे में क्या महसूस करती हैं। कॉरियर, रोजगार एवं जीवनसाथी से सम्बन्धित निर्णय लेने के संदर्भ में उन्हें स्वतंत्रता दी गई है या नहीं। यह शोध-पत्र शिक्षित अनुसूचित जाति महिलाओं की समाज में वर्तमान सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति का विश्लेषण करता है। अनुसूचित जाति महिलाओं को एक तरफ अनुसूचित जाति (दलित) एवं दूसरी तरफ महिला होने की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसलिए अनुसूचित जाति महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर उन्नयन की गुंजाइश बहुत कम रही है। कमजोर वर्गों के विकास को देखा गया है लेकिन वांछित परिणाम अभी भी वास्तविकता से बहुत दूर है एवं अनुसूचित जाति महिलाएं शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, लैंगिक-असमानता एवं सामाजिक-राजनीतिक भागीदारी के मामले में बदतर स्थिति में हैं। समाज के इस वर्ग के विकास के लिए एक यथार्थवादी अध्ययन की आवश्यकता है ताकि विकास की गति का अनुमान लगाया जा सके और शिक्षा के माध्यम से अनुसूचित जाति महिलाओं के सामाजिक स्तर में हुए उन्नयन की पहचान की जा सके।

शब्दकोश: सामाजिक स्तर उन्नयन, अनुसूचित जाति (दलित), शिक्षा-व्यवस्था, सोच एवं अभिवृत्ति (दृष्टिकोण), अपेक्षाएं एवं चुनौतियाँ, भूमिका संघर्ष, समायोजन।

प्रस्तावना

भारतीय समाज में महिला एक सजातीय श्रेणी नहीं है, यह मानव विकास संकेतकों द्वारा मापी गई शैक्षणिक उपलब्धियों, आर्थिक प्रदर्शन एवं स्वस्थ्य प्रस्थिति में अन्तर के साथ चिह्नित है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति (दलित) से सम्बन्धित महिलाओं के मामले में। शिक्षा समग्र समाज की प्रगति एवं विकास के लिए बुनियादी एवं मूलभूत आवश्यकता है इसलिए अनुसूचित जाति महिलाओं के सामाजिक स्तर उन्नयन में शिक्षा व्यवस्थाकी भूमिका को देखना चाहा है। शिक्षा में लैंगिक असमानताएं सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की असमान प्रस्थिति को दर्शाती है। महिलाओं के सामाजिक स्तर उन्नयन का एक महत्वपूर्ण कारक शिक्षा है जो कई भूमिकाएं निभाने के लिए अपरिहार्य है। महिलाओं की अधीनता का आंकलन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे-शिक्षा, रोजगार, अर्थव्यवस्था, राजनीति एवं स्वास्थ्य के इनके असंगत प्रतिनिधित्व के स्तर से लिया जा सकता है, जिसके कारण प्रत्येक देश में इन बाधाओं को दूर करने और इनकी क्षमताओं को महसूस करने के प्रयास किये जा रहे हैं। सभी समुदायों एवं वर्गों में अनुसूचित जाति महिलाएं भारतीय समाज के सबसे निम्न शिक्षित वर्गों में से एक हैं। इस शोध-पत्र का उद्देश्य अनुसूचित जाति महिलाओं की शैक्षणिक प्रस्थिति, साथ ही अनुसूचित जाति की शिक्षित महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर उन्नयन के प्रति उनके दृष्टिकोण को समझाना, उनके

* शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

** सहायक आचार्य (सेवानिवृत्त), समाजशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

पिछड़ेपन के कारणों, उनके सामने आने वाली समस्याओं एवं चुनौतियों और समाज की मुख्यधारा के साथ उनके एकीकरण के लिए सिफारिशों को उजागर करना है। सामाजिक स्तर उन्नयन के संकेतक जिनका विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में मूल्यांकन के लिए उपयोग किया गया है—

- शिक्षा का स्तर
- आर्थिक स्थिति का स्तर
- राजनीतिक भागीदारी का स्तर
- स्वास्थ्य स्थिति का स्तर
- व्यक्तिगत एवं परिवारिक निर्णय लेने का स्तर
- निर्भरता एवं शोषण से मुक्ति
- सामाजिक सेवा का स्तर
- अधिकारों एवं सरकारी नीतियों/योजनाओं के सम्बन्ध में जागरूकता का स्तर

साहित्य समीक्षा

राधवेन्द्र, आर.एच. (2020) ने अपने शोध पत्र में कहा है कि सामाजिक रूप से हाशिए पर खड़ा अनुसूचित जाति समूह, मानव विकास के विषय में भारतीय जनसंख्या के अन्य वर्गों से कितना पीछे है। इस शोध-पत्र में भारत में अनुसूचित जाति की साक्षरता एवं स्वास्थ्य की स्थिति जैसे विभिन्न मानव विकास कारकों का आंकलन करने का प्रयास किया गया है। इस शोध पत्र में यह भी चर्चा की गई है कि साक्षरता, स्वास्थ्य एवं इन्हें प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य योजनाओं तक पहुँच के विभिन्न मानव विकास संकेतकों के क्षेत्र में अनुसूचित जाति केसे पिछड़ जाती है। भारत सरकार ने यह जानते हुए उनके उत्थान के लिए विभिन्न सकारात्मक कार्यवाही एवं संवैधानिक सुरक्षा उपायों को अपनाया है। अपनाई गई विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम देखें गये हैं और इससे इस वंचित समूह की प्रस्थितियों में सुधार हुआ है लेकिन विभिन्न प्रावधान कभी-कभी एक मिथक बन जाते हैं कि अज्ञानता के कारण और सामाजिक सीमाओं के कारण इन प्रावधानों तक पहुँचने में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है इसलिए विकास संगठनों को प्रोत्साहन के विभिन्न स्तरों का पता लगाना जारी रखना चाहिए और भारत में राष्ट्रीय समानता का अनुसरण करना चाहिए।

राव.एस.एस. एवं सुंदरेशा, डी.एस० (2018) सामाजिक ढाँचे के भीतर बदलाव लाने में शिक्षा एवं रोजगार को लेकर सकारात्मक नीतियों की भूमिका को लेकर काफी कुछ कहा गया है। बेशक, यह दावा किया जा सकता है कि उच्च शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान भारत में आजादी के बाद अनुसूचित जाति के बीच 'नया मध्यम वर्ग' तैयार करने का मुख्य साधन है। सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण की प्रक्रिया ने उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति की भागीदारी बढ़ाई जो बेहतर जीवन, सामाजिक हैसियत और आर्थिक अवसरों का आधार है। पिछले 15 सालों में अनुसूचित जाति के सकल नामांकन अनुपात में जबरदस्त सुधार हुआ है। 199–2000 में अनुसूचित जाति का सकल नामांकन अनुपात 5.09 फीसदी रहातो 2014–15 में 20 प्रतिशत रहा, इस संबंध में वृद्धि तकरीबन चार गुना हो जाती है, इन आँकड़ों से निष्कर्ष निकलता है कि साल 2000 से 2015 के दौरान उच्च शिक्षा में इन समूहों की भागीदारी में अच्छी बढ़ोत्तरी हुई है। इस बढ़ोत्तरी से अनुसूचित जाति की महिलाओं को भी जबरदस्त फायदा हुआ। मिसाल के तौर पर अनुसूचित जाति की महिलाओं का 2005'06 में 6.4 फीसदी से 2014–15 में 18.02 फीसदी के दौरान अनुसूचित जाति महिलाओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी तकरीबन तीन गुणा बढ़ गई।

पासवान, जी.के. (2018) ने अपने शोध-पत्र के माध्यम से अनुसूचित जाति की महिलाओं की शैक्षणिक प्रस्थिति का पता लगाने में काफी हद तक ध्यान केन्द्रित किया है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति महिलाएं भारतीय समाज में अपनी प्रस्थिति बदल सकती है। शिक्षा असमानताओं में भी कमी लाती है और परिवार एवं समाज के भीतर इनकी प्रस्थिति में सुधार के लिए साधन के रूप में भी कार्य करती है। अनुसूचित जाति की महिलाएं विकास की रणनीति विकसित करने में विफल रही हैं। अनुसूचित जाति

की महिलाएँ अभी भी समाज में बहुत पीछे हैं। अनुसूचित जाति महिलाओं की शैक्षणिक प्रस्थिति के उत्थान के लिए सरकार द्वारा और अधिक प्रयास किए जाने चाहिए।

सज्जाना, एन.एस. एवं सोनालकर, वंदना. (2015) दलित समुदाय की महिलाएँ न केवल अपने जेंडर के आधार पर भेदभाव का शिकार होती हैं बल्कि सामाजिक पहचान एवं आर्थिक अभाव से भी पीड़ित होती हैं। दलित महिलाओं की समस्याएँ कई मायनों में विशिष्ट एवं अनूठी हैं और वे सामाजिक भेदभाव, लैंगिक पूर्वाग्रह और आर्थिक अभाव के 'तिहरे बोझ' से पीड़ित हैं।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध की प्रकृति गुणात्मक एवं विवरणात्मक है। प्रस्तुत अध्ययन में तथ्यों एवं सूचनाओं के स्रोत के रूप में प्रारम्भिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के तथ्यों का प्रयोग किया गया। प्राथमिक तथा साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन एवं वैयक्तिक अध्यन की मदद से एकत्र किये गये हैं एवं उत्तरदाताओं का चयन असंभाव्य निर्दर्शन के उद्देश्यपूर्ण विदर्शन के माध्यम से किया गया है। द्वितीयक तथ्य विभिन्न स्रोतों जैसे शोध पत्रों, लेखों, रिपोर्टों, सांख्यिकीय कार्यालय एवं महिला शिक्षा से संबंधित अन्य साहित्य से एकत्र किये गये हैं।

शोध के उद्देश्य

शोध के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

- अनुसूचित जाति की शिक्षित महिलाओं की वर्तमान सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति को समझना।
- अनुसूचित जाति की शिक्षित महिलाओं के सामाजिक स्तर उन्नयन में शिक्षा व्यवस्था की भूमिका को समझना।
- सामाजिक-आर्थिक स्तर उन्नयन के प्रति शिक्षित अनुसूचित जाति महिलाओं की सोच एवं अभिवृत्ति (दृष्टिकोण) को समझना।
- अनुसूचित जाति महिलाओं को शिक्षा/रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने वाले कारकों का पता लगाना।
- अनुसूचित जाति की शिक्षित महिलाओं की जीवन-शैली को समझना।

शोध प्रश्न

शोध प्रश्न निम्नलिखित हैं—

- अनुसूचित जाति की शिक्षित महिलाओं के सामाजिक स्तर उन्नयन में शिक्षा व्यवस्था की क्या भूमिका है?
- सामाजिक-आर्थिक स्तर उन्नयन के प्रति शिक्षित अनुसूचित जाति महिलाओं का दृष्टिकोण क्या है?
- क्या एक सुन्दर सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के लिए शिक्षा आवश्यक है?
- शिक्षा के माध्यम से अनुसूचित जाति महिलाओं में संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा हुई है।
- नीतिगत परिणामों को ध्यान में रखते हुए शिक्षित अनुसूचित जाति महिलाओं की उनसे संबंधित सरकार की योजनाओं एवं नीतियों के बारे में क्या राय है?
- शिक्षित अनुसूचित जाति महिलाओं की परिवार एवं समाज से उनकी अपेक्षाएँ एवं चुनौतियाँ क्या हैं?
- निर्णय लेने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं शिक्षित होने के बाद भी उनके जीने के तरीके में उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?
- अनुसूचित जाति महिलाओं के निम्न शिक्षा स्तर, सशक्तिकरण एवं उनके पिछड़े पनके लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं?

शिक्षा ही एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार लाया जा सकता है। शिक्षा के शिक्षित अनुसूचित जाति महिलाओं के सामाजिक स्तर उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा की भूमिका को इस प्रकार समझा जा सकता है— शिक्षा → आत्मनिर्भरता → सामाजिक स्तर उन्नयन। गुणवत्तापूर्ण, रोजगारोन्मुख, समतामूलक शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से अनुसूचित जाति महिलाएँ स्नातक, स्नातकोत्तर एवं प्रोफेशनल कोर्सेज में अधिक संख्या में नामांकित हो रही हैं और सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन रही है और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं व्यावसायिक

क्षेत्रों में अपनी योग्यता का प्रतिनिधित्व कर रही है। सामाजिक स्तर उन्नयन के लिए शिक्षा आवश्यक है। शिक्षित अनुसूचित जाति महिलाओं का मानना है कि एक सुन्दर सामाजिक-आर्थिक जीवन के लिए शिक्षा अतिआवश्यक कारक है। शिक्षा के माध्यम से ही अनुसूचित जाति महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को साकार किया जा सकता है। शिक्षा के माध्यम से शिक्षित अनुसूचित जाति महिलाओं को समाज में सम्मानएवं प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। शिक्षित अनुसूचित जाति महिलाओं का मानना है कि शिक्षा एवं सेवा के माध्यम से शिक्षित अनुसूचित जाति महिलाओं के पारिवारिक एवं सामाजिक स्तर में सुधार हुआ है लेकिन अभी तस्वीर उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए क्योंकि अभी भी उनकी शिक्षा का स्तर निम्न है। समाज को सामाजिक मूल्यों एवं उचित दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए, जो अंततः अनुसूचित जाति महिलाओं के सामाजिक स्तर उन्नयन के संबंध में कुछ सकारात्मक कार्यवाही लाएगा और उचित शिक्षा, परिवार एवं समाज का सकारात्मक दृष्टिकोण ही अनुसूचित जाति महिलाओं के सामाजिक स्तर उन्नयन में मदद करेगा।

निष्कर्ष

शोध के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:-

- शिक्षा के माध्यम से शिक्षित अनुसूचित जाति महिलाओं के जीवन-स्तर में सुधार आया है। आज शिक्षित अनुसूचित जाति महिलाएँ अपने व्यवितरण निर्णय (कैरियर, रोजगार, विवाह से सम्बन्धित निर्णय) स्वयं ले रही हैं और साथ ही पारिवारिक निर्णयों में भी उनकी राय ली जा रही है।
- शिक्षित अनुसूचित जाति महिलाएँ शिक्षण क्षेत्र के साथ-साथ क्षेत्रों डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, उद्यमी, सरकारी अधिकारी आदि क्षेत्रों में अपनी योग्यता का प्रतिनिधित्व कर रही हैं औरवे अपने दम पर बहुत अच्छी कमाई कर रही हैं जो अनुसूचित जाति महिलाओं की पारम्परिक अवधारणा में बदलाव की लहर को दर्शाता है।
- शिक्षित अनुसूचित जाति महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक प्रिस्थिति में सुधार हुआ है क्योंकि कई महिलाएँ हैं जो अपने दम पर जीवन यापन कररही हैं, परिवार एवं समाज उन पर भरोसा करते हैं और उनके अधिकारों को सम्मान के साथ प्रदान करते हैं क्योंकि उन्होंने उन अधिकारोंको प्राप्त किया है।
- शिक्षित अनुसूचित जाति महिलाओं ने इस राय का समर्थन किया की शिक्षा एक व्यक्ति के व्यवहार (सोच एवं अभिवृत्ति) में सुधार करती है और शिक्षा उनके एवं समाज के बीच एक सेतु का काम करती है। अनुसूचित जाति महिलाओं ने सहमति व्यक्त की कि शिक्षा नेउनकी एवं समाज के सकारात्मक दृष्टिकोण के निर्णय एवं सोच में सुधार करने में मदद की है।
- अनुसूचित जाति महिलाओं के पिछड़ेपन एवं हांशिए पर रहने की बुनियादी समस्याएँ हैं— शिक्षा का निम्नस्तर, निम्न आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं के बारे में सरकारी एवं नीतियों के बारे में जागरूकता का अभाव, लैंगिक असमानता, रुद्धिवादिता और समाज के निर्धारित मानदंडों को तोड़ने पर समुदाय का डर।
- शिक्षित अनुसूचित जाति महिलाओं की राय में हांलाकि महिलाओं के लिए समाज नहीं बदला है लेकिन आज महिलाओं के लिए यह उतना कठिन नहीं है और उन्हें आत्म-विश्वास के बेहतर अवसर मिल रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. ए. क्रिटिकल इयर फॉर वुमन, जेंडर इक्वेलिटी एंड हेल्थ. (2020). [https://www.thelancet.com/PII50140-6736\(10\)33170-8](https://www.thelancet.com/PII50140-6736(10)33170-8).
2. अन्जू मिलनत्र (2020). हयूमन राइट्स वाइनेशन अंगेस्ट शेड्यूल कास्ट इन इण्डिया. <https://www.researchgate.net/publication/340087910>.
3. रेगे, शर्मिला. (2006)त्र राइटिंग कास्ट एण्ड राइटिंग जेंडर: नरेटिंग दलित वुमन्स टेकटीमोनीस पब्लिशाड बॉय जुवानत्र
4. सडाना, एन.एस. एवं सोनाल्कर, वंदना. (2015). दलित वुमन इन इण्डिया: ऐट दी क्रोसरोडस ऑफ जेंडर, क्लास एण्ड कास्ट. <https://www.researchgate.net/publication/310443478>.
5. श्यामला, के. (2000). महिला अधिकार: चिंतन प्रतिबद्धता और कार्यवाही. योजना. अप्रैल. पीपी. 49–52.

